



ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296/1979)
DEJURE RECOGNISED BY

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA

CAMP OFFICE: EB-106, II FLOOR, MAYA ENCLAVE, HARI NAGAR, NEW DELHI-110064

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side) JCM (KVS)
09414455832, 09887733117 (Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Website: aikvtahq.in

MUKESH KUMAR BAGDI
President, AIKVTA (Adhoc)
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
(Mob.) 09425353097
E-Mail-bagdimukesh@gmail.com

F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/396

Date: 19-01-2022

प्रति

माननीय आयुक्त महोदया
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016.

विषय :- स्थानांतरण प्रक्रिया -2021 में स्वयं की प्रार्थना पर हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों के स्थानांतरण टीए/डीए के लाभ के संबंध में :-

संदर्भ: 1. F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/365- Date: 29-11-2021

2. श्री लेखराज गुर्जर, प्राथमिक शिक्षक केन्द्रीय विद्यालय मुंगावली (हार्ड स्टेशन) दिनांक 19.01.2022

महोदया,

उपर्युक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ को देश कि विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों से लगातार सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया- 2021 में स्वयं की प्रार्थना पर हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों को स्थानांतरण टीए/डीए के लाभ नहीं मिल रहा है जबकि पूर्व में यह लाभ मिलता था। संगठन मे स्वयं ने उक्त लाभ नो टेकर में हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों को दिया।

इसी संदर्भ में श्री लेखराज गुर्जर, प्राथमिक शिक्षक केन्द्रीय विद्यालय मुंगावली (हार्ड स्टेशन) दिनांक 19.01.2022 का एक प्रतिवेदन संघ को प्राप्त हुआ है, उक्त संलग्न पत्र स्वयं व्याख्यात्मक है।

अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने भी अपने पत्र दिनांक 29/11/2021 को संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा आग्रह किया था (पत्र कीप्रति संलग्न है)।

अतः आपसे आग्रह है कि स्थानांतरण प्रक्रिया -2021 में स्वयं की प्रार्थना पर हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों को भी नो टेकर में हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों की भाँति स्थानांतरण टीए/डीए के लाभ दिलवाये जाने के आदेश पारित करने का श्रम करें

सधन्यवाद

भवदीय

मुकुट बिहारी अग्रवाल

महासचिव (अ भा के वि शि संघ)

एवं

लीडर(स्टाफ़साइड) जेसीएम, केविएस

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1) माननीया अपर आयुक्त (प्रशासन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली।
- 2) माननीय संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/कार्मिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली।



ALL INDIA KENDRIYA VIDYALAYA TEACHERS' ASSOCIATION

(Reg. No. 10296/1979)
DEJURE RECOGNISED BY

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, MINISTRY OF EDUCATION, GOVT. OF INDIA

CAMP OFFICE: EB-106, II FLOOR, MAYA ENCLAVE, HARI NAGAR, NEW DELHI-110064

M B AGRAWAL
General Secretary, AIKVTA
&
Leader (Staff Side) JCM (KVS)
09414455832, 09887733117 (Mob.)
E-Mail-mbaaikvta@gmail.com

Correspondence Address
42-B Mitra Nagar Colony
Opposite Super King School
Ram Nagar Sodala,
JAIPUR (Raj.)-302019
Website: aikvtahq.in

MUKESH KUMAR BAGDI
President, AIKVTA (Adhoc)
&
Member (Staff Side) JCM (KVS)
(Mob.) 09425353097
E-Mail-bagdimukesh@gmail.com

F.01/AIKVTA HQ/GS/2019-21/365

Date: 29-11-2021

प्रति

माननीय आयुक्त महोदया
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016.

विषय :- स्थानांतरण प्रक्रिया -2021 में स्वयं की प्रार्थना पर हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों के स्थानांतरण टीए/डीए के लाभ के संबन्ध में :-
महोदया,

उपर्युक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ को देश कि विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों से लगातार सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया- 2021 में स्वयं की प्रार्थना पर हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों को स्थानांतरण टीए/डीए के लाभ नहीं मिल रहा है जबकि पूर्व में यह लाभ मिलता था। संगठन में स्वयं ने उक्त लाभ नो टेकर में हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों को दिया।

अतः आपसे आग्रह है कि स्थानांतरण प्रक्रिया -2021 में स्वयं की प्रार्थना पर हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों को भी नो टेकर में हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित हुए शिक्षकों की भाँति स्थानांतरण टीए/डीए के लाभ दिलवाये जाने के आदेश पारित करने का श्रम करें।

सधन्यवाद

भवदीय

मुकुट बिहारी अग्रवाल
महासचिव (अ भा के वि शि संघ)
एवं

लीडर(स्टाफ़साइड) जेसीएम, केविएस

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1) माननीया अपर आयुक्त (प्रशासन/ अकादमिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली।
- 2) माननीय संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/कार्मिक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय नई दिल्ली।

सेवा में

श्रीमान मुकुट बिहारी अग्रवाल

महासचिव

अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय संगठन

विषय : स्थानांतरण बेनिफिट प्रदान कराने बाबत।

सन्दर्भ: फ.क्र. KVM/2021-2022/376-382 दिनांक 11.01.2022

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं अखिल भारतीय केंद्रीय विद्यालय संगठन (AIKVTA) का सदस्य हूँ। मेरा स्थानांतरण केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर सी. सु. ब. ,कूचबिहार ,पश्चिम बंगाल (सामान्य स्टेशन) से केंद्रीय विद्यालय मुंगावली (हार्ड स्टेशन) पत्र क्रमांक F.NO. 11-E-II046/2/2021-ESTT-II/INTER-STATION TRANSFER DATED-17.10.2021 के अनुसार हुआ है।

महोदय, उपर्युक्त स्थानांतरण के लिए मैंने अपने विद्यालय में स्थानांतरण बेनिफिट प्राप्त करने के लिए सभी बिल निर्धारित समय में कार्यालय में जमा कर दिया।

पत्र क्रमांक KVM/2021-2022/376-382 दिनांक 11.01.2022 के अनुसार विद्यालय द्वारा मुझे सूचित किया गया कि उपर्युक्त स्थानांतरण आदेश अनुसार मैं स्थानांतरण बेनिफिट के लिए पात्र नहीं हूँ। जिसमें पैरा 9 और पैरा 11 का हवाला दिया गया है।

महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारे आदेश में वर्णित ये पैरा आपस में विरोधाभासी हैं जिसका हमारे विद्यालय द्वारा गलत अर्थ समझा जा रहा है क्योंकि स्थानांतरण दिशानिर्देश के पैरा 8 में यह वर्णित है कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर यदि हार्ड स्टेशन पर होता है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर ही माना जायेगा। जैसा कि स्थानांतरण आदेश F.NO. 11-E-II046/2/2021-ESTT-II/UNDER-40 REQUEST DATED 08.10.2021 में सामान्य स्टेशन से हार्ड स्टेशन पर ट्रांसफर स्वयं के अनुरोध पर, में हुआ है। श्रीमान ऐसे में मेरा भी ट्रांसफर तो सामान्य स्टेशन से हार्ड स्टेशन पर स्वयं के अनुरोध पर हुआ है।

महोदय, यदि पैरा 11 का संदर्भ दिया जा रहा है तो मैं आपका ध्यान इस पर भी लाना चाहूंगा कि पत्र क्रमांक F.NO. 11-E-II046/2/2021-ESTT-II/NO-TAKER TRANSFER DATED 31.10.2021 के अनुसार हुए नो टेकर ट्रांसफर भी इसी पैरा 11 के अनुसार हुए हैं। जिनके आदेश में यह लिखा है कि यदि किसी का कठिन स्थान पर भी स्थानांतरण होता है तो उन्हें भी स्थानांतरण बेनिफिट मिलेंगे। इसलिए उन्हें यह बेनिफिट दिया जा रहा है।

यहां उपर्युक्त दोनों आदेश बेनिफिट देने के संबंध में विरोधाभासी हैं।

अतः आपसे से निवेदन है कि कृपया उपर्युक्त प्रकरण में अपना अमूल्य समय दे कर न्यायोचित निराकरण करने की कृपा कीजिए। जिससे मुझे स्थानांतरण बेनिफिट मिल सके ।

आपके इस कृत्य के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा ।

धन्यवाद

आपका आज्ञाकारी

नाम- लेखराज गुर्जर - *Hy*
19/01.2022

पद- प्राथमिक शिक्षक

मोबाइल न. - 9667948986

संलग्न-

यथोचित सभी पत्र ।